>

Title: Need to set up a bench of Jharkhand High Court in Santhal Pargana, Jharkhand.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) ः

बिहार राज्य से एक अलग राज्य का निर्माण 2000 ई0 में हुआ । इसका कारण स्पष्ट था कि छोटा नागपुर और संथाल परगना तथा पलामू में रहने वाले आदिवासी, दलित, पिछड़े और शोषित अपने अधिकारों से वंचित थे । राज्य बंटवारे के उपरांत रांची राजधानी और दुमका जो, कि संथाल परगना में है, उप-राजधानी बनी । पिछले 10 वर्षों से संथाल परगना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, पानी और आवास के लिए परेशान हो रहा है । लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है । ऐसा हमेशा से देखा गया है कि उप-राजधानी क्षेत्र में हाईकोर्ट की खण्डपीठ स्थापित होती है । रांची की दूरी संथाल परगना से बहुत ज्यादा है । इसके मुकाबले पटना और कोलकाता ज्यादा नजदीक है । लगभग 70 प्रतिशत व्यक्ति अशिक्षित है, आवागमन की घोर असुविधा है । लगभग 75 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं ।

अतः संथाल परगना के लोगों को रांची जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकीन है । पिछले 11 वर्षों से यहां के लोग हाईकोर्ट की खण्डपीठ के लिए आंदोलनरत हैं ।

अतः आपके माध्यम से मैं आदरणीय कानून मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आप गरीबों को समुचित न्याय दें तथा संथाल परगना में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ बनाकर इसके विकास में योगदान करें ।